भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1174
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

**ई-न्यायालय**

**1174. श्री एंटो एन्टोनी :**
**श्री डी. रविकुमार :**
**सुश्री एस. जोतिमणि :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश भर में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों के संचालन के लिए चराण-III के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र-वार ई-न्यायालय विकसित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ई-कोर्ट परियोजना के चरण-III में वर्चुअल सुनवाई और उच्च न्यायालयों की वर्चुअल पीठों की स्थापना आदि सहित कुल परिव्यय राज्य-वार कितना है ;

(ग) क्या सरकार ने नागरिकों की न्याय तक पहुंच को सक्षम बनाने में चरण-। और चरण-।। की उपयोगिता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, सरकार ने किस आधार पर चरण-।।। के लिए आवंटन में भारी वृद्धि करने का निर्णय लिया है ; और

(ङ) क्या सरकार ने ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और**
**संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ख) :** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास के लिए कार्यान्वयन के अधीन है। ई-न्यायालय परियोजना को भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना 2011-2015 के बीच ई-न्यायालय परियोजना का चरण I लागू किया गया था। इसने कंप्यूटरीकरण की बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित किया जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर स्थापित करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और ई-न्यायालय प्लेटफॉर्म का संचालन करना। 935 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के मुकाबले, इस चरण के कार्यान्वयन के लिए कुल व्यय 639.41 करोड़ रुपये था।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का चरण II 2015-2023 तक बढ़ाया गया। इसने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता और विभिन्न नागरिक केंद्रित पहलों जैसे ई-पेमेंट्स, ई-फाइलिंग, ट्रैफिक चालान को संभालने के लिए वर्चुअल न्यायालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके सुनवाई पर ध्यान केंद्रित किया। 1670 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के मुकाबले, । इस चरण के कार्यान्वयन के लिए कुल व्यय 1668.43 करोड़ रुपये था। इस चरण के अधीन 18735 जिला और

अधीनस्थ अदालतों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, वैन संयोजकता प्रदान की गई है और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडी) बनाया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को आयोजित अपनी बैठक में 4 वर्ष (2023 से आरंभ) 7210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण-III का अनुमोदन किया। इसके पश्चात, आकस्मिक निधि से वित्त मंत्रालय द्वारा ई-न्यायालय चरण III के लिए अक्तूबर 2023 में 225 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से बीएसएनएल और एनआईसी को 102.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और स्कैनिंग और डिजिटलीकरण, ई-सेवा केंद्र, विद्यमान और नए सेटअप न्यायालय, सोलर पावर बैकअप आदि के लिए आईटी हार्डवेयर के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों को 110.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आरई के रूप में हाल ही में 600 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं । चरण- I और चरण- II के लाभ को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण- III का उद्देश्य संपूर्ण न्यायालय अभिलेख के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की अधिकतम आसानी की व्यवस्था शुरू करना है। विरासत अभिलेख और ई-सेवा केंद्रों के साथ सभी न्यायालय परिसरों की संतृप्ति के माध्यम से ई-फाइलिंग/ई-भुगतान का सार्वभौमिकरण लाना। यह मामलों को शेड्यूल या प्राथमिकता देते समय न्यायाधीशों और रजिस्ट्रियों के लिए डेटा-आधारित विनिश्चय लेने में सक्षम बनाने वाले बुद्धिमान स्मार्ट प्रणाली स्थापित करेगा। चरण-III का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाना है, जो न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज और कागज रहित इंटरफेस प्रदान कर सके। यह परियोजना एक "स्मार्ट" पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी। इस प्रकार ई-न्यायालय चरण-III देश के सभी नागरिकों के लिए न्यायालय के अनुभव को सुविधाजनक, सस्ता और परेशानी मुक्त बनाकर न्याय में आसानी सुनिश्चित करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ई-न्यायालय चरण III के विभिन्न घटकों में 3108 करोड़ पृष्ठों के पुराने अभिलेख का डिजिटलीकरण, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी न्यायालय परिसरों में 4400 पूर्ण रूप से कार्यात्मक ई-सेवा केंद्र और **उपाबंध-1** पर इसके वित्तीय विवरण के साथ कृतिम आसूचना/मशीन लर्निंग आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग सम्मिलित है।

**(ग) :** जी हाँ । ई-न्यायालय परियोजना चरण II के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा तृतीय-पक्ष मूल्यांकन आयोजित किया गया है और मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

• ई-न्यायालय परियोजना से न्यायालयों में दायर मामलों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है और ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सूचना तक आसान पहुंच में मदद मिली है।

• ई-न्यायालय परियोजना के अधीन प्रदान की गई विभिन्न आईसीटी सुविधाओं की पहुंच और गुणवत्ता पर उच्च स्तर की संतुष्टि व्यक्त की गई

• ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा खरीद प्रक्रिया अच्छी तरह से योजनाबद्ध है और सभी भुगतान समय पर प्राप्त होते हैं।

• न्यायाधीश न्यायालय के समय प्रबंधन में सुधार और सूचना की पारदर्शिता से संतुष्ट हैं जो कि ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हुआ है

• 90-100% नमूना न्यायालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर का उपबंध है और मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) स्थापित है।

• न्यायाधीशों और न्यायालय के अधिकारियों के उच्च अनुपात ने सीआईएस, एनजेडीजी और हार्डवेयर के उपयोग में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लगभग सभी उत्तरदाताओं का मत था कि प्रशिक्षण बहुत उपयोगी थे।

• मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस), जस्ट आईएस  मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी ) वेबसाइट जैसी सेवाओं का बहुत बार उपयोग किया जाता है और एक आसान उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस है।

• अधिकांश न्यायाधीशों और न्यायालय के अधिकारियों का मानना है कि ई-न्यायालय परियोजना ने मामलों की लंबितता को कम कर दिया है क्योंकि मामलों के कानूनों तक आसान पहुंच के परिणामस्वरूप बेहतर शोध हुआ है।

• 5 वर्षों से अधिक के मामलों की लंबितता ने पिछले कुछ वर्षों में धीमी लेकिन स्थिर गिरावट प्रदर्शित की है।

• 2017 से, जिला न्यायालय की निकासी दर में भी तेज वृद्धि देखी गई है।

**(घ) :** ई-न्यायालय परियोजना का चरण III एक छोर से दूसरे छोर तक डिजिटल और कागज रहित अदालतों की व्यवस्था स्थापित करने के लिए न्यायालय अभिलेख के डिजिटलीकरण, क्लाउड स्टोरेज और कृतिम आसूचना/मशीनलर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के रूप में नवीनतम आधुनिक अत्याधुनिक हस्तक्षेपों को सम्मिलित करके  चरण II की तुलना में अगले उच्च स्तर तक प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। । तदनुसार, इन हस्तक्षेपों को सम्मिलित करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में कुल परियोजना लागत 7210 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है (जैसा कि **उपाबंध-1** में दर्शाया गया है) जो चरण II के आवंटन का चार गुना है।

**(ङ) :** ई-न्यायालय परियोजना को संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत तरीके से, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। ई-समिति ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीति नियोजन, रणनीतिक दिशा और मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी  है और न्याय विभाग के साथ सहयोगात्मक साझेदारी में काम करती है जो परियोजना के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। ई-समिति द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और उनकी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया। सुझावों को सम्मिलित करने के बाद, ई-समिति द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई जो ई-न्यायालय चरण III की पूरी रूपरेखा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, ई-समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-फाइलिंग, डिजिटलीकरण आदि जैसी विभिन्न क्रियाकलापों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है और उनके मार्गदर्शन के लिए सभी उच्च न्यायालयों को प्रसारित किया है।

**********

**उपाबंध 1**

ई-न्यायालय के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1174 जिसका उत्तर 09/02/2024 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। ई-न्यायालय चरण III के घटक और वित्तीय विवरण इस प्रकार हैं:

| **क्र. सं.** | **स्कीम घटक** | **प्राक्क्लित लागत कुल (रुपए करोड़ में)** |
|---|---|---|
| 1 | मामला अभिलेख की स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और डिजिटल संरक्षण | 2038.40 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर | 1205.23 |
| 3 | विद्यमान न्यायालयों के लिए अतिरिक्त हार्डवेयर | 643.66 |
| 4 | नव स्थापित न्यायालयों में बुनियादी ढाँचा | 426.25 |
| 5 | आभासी न्यायालय | 413.08 |
| 6 | ईसेवा केंद्र | 394.48 |
| 7 | पेपरलेस न्यायालय | 359.20 |
| 8 | प्रणाली और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकास | 243.52 |
| 9 | सौर ऊर्जा बैकअप | 229.50 |
| 10 | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था | 228.48 |
| 11 | ई फाइलिंग | 215.97 |
| 12 | संयोजकता (प्राथमिक + अतिरेक) | 208.72 |
| 13 | क्षमता निर्माण | 208.52 |
| 14 | क्लास (न्यायालय रूम लाइव-ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम) | 112.26 |
| 15 | परियोजना प्रबंधन इकाई | 56.67 |
| 16 | भविष्य की तकनीकी प्रगति | 53.57 |
| 17 | न्यायिक प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग | 33.00 |
| 18 | विकलांग अनुकूल आईसीटी सक्षम सुविधाएं | 27.54 |
| 19 | एनएसटीईपी | 25.75 |
| 20 | ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) | 23.72 |
| 21 | ज्ञान प्रबंधन प्रणाली | 23.30 |
| 22 | उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लिए ई-ऑफिस | 21.10 |
| 23 | अंतर-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के साथ एकीकरण | 11.78 |
| 24 | S3वास प्लेटफार्म | 6.35 |
| | कुल | **7210** |

**********